

लोक अदालत

प्रलिमिस के लिये:

लोक अदालत, नालसा, वैकल्पिक विवाद समाधान।

मेन्स के लिये:

लोक अदालत और संबंधित क्षेत्राधिकार तथा इसके महत्व।

चर्चा में क्यों?

लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान के सबसे प्रभावशाली उपकरण के रूप में उभरी है।

- वर्ष 2021 में कुल 1,27,87,329 मामलों का निपटारा किया गया। इन लोक अदालतों जैसी तकनीकी प्रगति के कारण लोक अदालतें पारदर्शियों के दरवाजे तक पहुँच गई हैं।

प्रमुख बढ़ि:

परचिय:

- 'लोक अदालत' शब्द का अर्थ 'पीपुल्स कोर्ट' है और यह गांधीवादी सदिधांतों परआधारित है।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह प्राचीन भारत में प्रचलित न्यायनरिण्यन प्रणाली का एक पुराना रूप है और वर्तमान में भी इसकी वैधता बरकरार है।
- यह वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली के घटकों में से एक है जो आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है।
- पहला लोक अदालत शिविर वर्ष 1982 में गुजरात में एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में बना किसी वैधानिक समर्थन के नियमों हेतु आयोजित किया गया था।
- समय के साथ इसकी बढ़ती लोकप्रयिता को देखते हुए इसे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधनियम, 1987 के तहत वैधानिक दरजा दिया गया था। यह अधनियम लोक अदालतों के संगठन और कामकाज से संबंधित प्रावधान करता है।

संगठन:

- राज्य/ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/तालुका कानूनी सेवा समिति ऐसे अंतराल और स्थानों पर तथा ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने व ऐसे क्षेत्रों के लिये लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे।
- किसी क्षेत्र के लिये आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में उतनी संख्या में सेवारत या सेवानवित न्यायिक अधिकारी और क्षेत्र के अन्य व्यक्ति शामिल होंगे, जैसा कि आयोजन करने वाली एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा है।
 - सामान्यतः एक लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील (अधिविक्ता) और एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority- NALSA) अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है।
 - NALSA का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधनियम, 1987 के तहत 9 नवंबर, 1995 को किया गया था जो समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापित करने के लिये लागू हुआ था।
 - सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों से निपटने के लिये स्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु वर्ष 2002 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधनियम, 1987 में संशोधन किया गया था।

क्षेत्राधिकार:

- लोक अदालत के पास विवाद के समाधान के लिये पक्षों के बीच समझौता या समझौता करने और तय करने का अधिकार क्षेत्र होगा:
 - किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबति कोई मामला, या
 - कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाता है।
- अदालत के समक्ष लंबति किसी भी मामले को निपटाने के लिये लोक अदालत में भेजा जा सकता है यदि:

- दोनों पक्ष लोक अदालत में विवाद को नपिटाने के लिए सहमत हो या कोई एक पक्ष मामले को लोक अदालत में संदर्भित करने के लिये आवेदन करता है या अदालत संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा हल किया जा सकता है।
 - पूरव-मुकदमेबाजी के मामले में विवाद के कसी भी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर मामले को लोक अदालत में भेजा जा सकता है।
 - वैयाहकी/पारविराकि विवाद, आपराधिक (शमनीय अपराध) मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, श्रम विवाद, कामगार मुआवजे के मामले, बैंक वसूली से संबंधित आदमामले लोक अदालतों में उठाए जा रहे हैं।
 - हालाँकि लोक अदालत के पास कसी ऐसे मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो कसी भी कानून के तहत कंपाउंडेबल अपराध से संबंधित नहीं है। दूसरे शब्दों में, जो अपराध कसी भी कानून के तहत गैर-कंपाउंडेबल हैं, वे लोक अदालत के दायरे से बाहर हैं।
- **शक्तियाँ:**
- लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सविलि प्रक्रया संहति (1908) के तहत एक सविलि कोर्ट में नहित होती है।
 - इसके अलावा एक लोक अदालत के पास अपने सामने आने वाले कसी भी विवाद के निर्धारण के लिये अपनी प्रक्रया निर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियाँ होंगी।
 - लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहति (1860) के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और प्रत्येक लोक अदालत को दंड प्रक्रया संहति (1973) के उद्देश्य के लिये एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा।
 - लोक अदालत का फैसला कसी दीवानी अदालत की डिक्री या कसी अन्य अदालत का आदेश माना जाएगा।
 - लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निरिण्य विवाद के सभी पक्षों के लिये अंतमि और बाध्यकारी होगा। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होगी।

■ **महत्व:**

- इसके तहत कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का नपिटारा होने पर राशनिक प्रक्रया कर दी जाएगी।
- विवाद नपिटन हेतु प्रक्रयात्मक लचीलापन और त्वरित सुनवाई होती है। लोक अदालत द्वारा दावे का मूल्यांकन करते समय प्रक्रयात्मक कानूनों को अत्यधिक सख्ती से लागू नहीं किया जाता है।
- विवाद के पक्षकार सीधे अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश के साथ बातचीत कर सकते हैं जो कानून की नियमति अदालतों में संभव नहीं है।
- लोक अदालत द्वारा दिया जाने वाला निरिण्य सभी पक्षों के लिये बाध्यकारी होता है और इसे सविलि कोर्ट की डिक्री का दरजा प्राप्त होता है तथा यह गैर-अपील योग्य होता है, जिससे अंततः विवादों के नपिटारे में देरी नहीं होती है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/lok-adalat-1>